(b) To reduce the prevalance of malnutrition in the country apart from such long term measures like, making available essential food items at subsidised cost through Public Distribtion system; Improving the purchasing power of the people through Income Generating Schemes; certain other intervention programmes have also been launched by the Government which include the scheme of Integrated Child Development Services (ICDS), Balwadi Nutrition Programme, Mid Day Meals Programme for school children, Nutritional Anaemia Prophylaxie Programme, Goitre Control Programme and Programme for Prevention of Nutritional Blindness due to Vitamin A deficiency, as well as Nutrition Education Programme. The National Nutrition Policy has also been adopted recently with aview to tackle the problem of nutrition both through direct nutrition interventions for special vulnerable groups as well as through various development policy instruments which will create conditions for improved nutrition.

महिला स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय ऋण

6086. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए राष्ट्रीय महिला कोष से वित्तीय ऋण देने तु देश में कुछ स्वैच्छिक संगठनों का वमन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लघु और कुटीर उद्योगों संबंधी कार्यक्रमों हेतु इन स्वैच्छिक महिला संगठनों को वित्तीय ऋण प्रदान करने का निर्णय किया है ;

(ग) इन संगठनों को दिए जाने वाले वित्तीय ऋणों का इन संस्थाओं के नाम सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और अल्पावधि और मध्यावधि ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं ; और

(घ) गत वर्ष के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष को कितना ऋण आवंटित किया और वर्ष 1994–95 हेतु कितना धन उपलब्ध कराया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवाराजश्वरी) : (क) जी, हां । सरकार ने एक राष्ट्रीय महिला कोष स्थापित किया है जो अनौपचारिक क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं को ऋण प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को ऋण उपलब्ध कराएगा ।

(ख) ये ऋण अनौपचारिक क्षेत्रों में आयोत्पादक कार्यकलाप शुरू करने हेतु निर्धन महिलाओं को उपलब्ध कराए जायेंगे ।

(ग) इस संबंध में राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा निर्धारित दिशा-निदर्शों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है । वर्ष 1993–94 के दौरान जिन संगठनों को ऋण सुविधायें स्वीकृत की गई, उनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है **(नीचे देखिए)**

(घ) राष्ट्रीय महिला कोष को वर्ष 1992–93 के दौरान इसकी स्थापना के समय 31 करोड़ रुपए की कोरपस निधि उपलब्ध कराई गई थी । वर्ष 1993-94 तथा 1994–95 दोनों वर्षों के दौरान एक लाख रुपए की योजना प्रावधान रखा गया था ।

विवरण –1

राष्ट्रीय महिला कोष के दिशा-निर्देशों का विस्तृत ब्यौरा

राष्ट्रीय महिला कोष, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं को गैर-सरकारी संगठनों, स्व-सहायता दलों, महिला ऋण-सहकारिताओं तथा महिला विकास निगमों के मार्फत ऋण सुविधाएं प्रदान करेगा ।

पात्रता मापदंड :

पात्र निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए कोष से अल्पावधि तथा मध्यावधि ऋण प्राप्त करने के लिए ऐसे गैर-सरकारी संगठन/महिला ऋण सहकारिताएं/महिला विकास निगम आदि पात्र होंगे जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हों तथा जिन्हें मितव्ययता और ऋण प्रशासन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो ।

वास्तविक ऋण प्राप्तकर्ता :

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली ऐसी महिला ऋण प्राप्तकर्ता, जिनकी पारिवारिक आय 11,000/- रुपए प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाली ऐसी महिला ऋण प्राप्तकर्ता, जिनकी पारिवारिक आय 11,000/- रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो, स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की हकदार हैं ।

ऋण की अवधि :

मध्यावधि ऋण 3-5 वर्ष की अवधि में तथा अल्पावधि ऋण 15-18 माह की अवधि के भीतर वापस करने होते हैं ।

ऋण की अधिकतम सीमा अल्पावधि ऋण के मामले में 2500/- रुपए तथा मध्यावधि ऋण के मामले में 5000/- रुपए से अधिक नहीं होगी ।

राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा मध्यस्थ संगठनों को अल्पावधि तथा मध्यावधि दोनों किस्म का ऋण ब्याज की 8 प्रतिशत वार्षिक दर पर दिया जाएगा । वास्तविक ऋण प्राप्तकर्ता से अधिकतम 12 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाएगा ।

विवरण-2

(लाख रुपए में)

क्र.	गैर सरकारी संगठन का नाम	ऋण प्राप्तकर्ताओं की संख्या (अनुमानित)	संस्वीकृत ऋण सीमा
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश :		
1.	आर. ए. एस. एस., तिरुपति, आंध्र प्रदेश	700	7.35
2.	यूथ फार एक्शन, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	1800	40.00
3.	प्रजा शक्ति विद्यासंगम, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	220	3.96
4.	ग्रामा सिरी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	1528	24.70
5.	सोशियल एक्शन फार इंटेग्रेटिड डिवेल्पमेंट (एस. ए. आई. डी.) तिरूपति, आंध्र प्रदेश ।	617	6.50
6.	सैंटर फार रूरल रिकन्सट्रक्शन थ्रू सोशियल एक्शन (सी. आर. ई. एस. ए.) वेस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश	1650	13.00
7.	विशाखा जिला नवनिर्माण समिति, (वी. जे. एन. एस.) विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश	616	7.42

1	2	3	4
	बिहार :		
8.	अदिथि, पटना, बिहार । . . .	2500	17.00
	कर्नाटक :		
9.	ग्रामा, चित्रदुर्ग (कर्नाटक) . . .	420	10.00
10.	ओर्गेनाइजेशन फॉर डिवेल्पमेंट आफ पीपल (ओ. डी. पी.) मैसूर, कर्नाटक । . .	600	15.00
	केरल :		
11.	त्रिवेन्द्रम डिस्ट्रिक्ट फिशरमैन फैडरेशन त्रिवेन्द्रम, केरल ।	1600	21.00
12.	द डेलवियू, तिरुवंतपुरम, केरल । . .	1000	11.72
	महाराष्ट्र :		
13.	अन्नपूर्णा महिला मंडल, बम्बई, महाराष्ट्र .	1575	39.00
14.	एस.पी.ए. आर. सी. बम्बई, महाराष्ट्र .	2000	31.50
15.	रानी लक्ष्मीबाई महिला मंडल, महाराष्ट्र .	220	5.40
	मध्य प्रदेश :		
16.	एस. ई. डब्ल्यू. ए. भोपाल, मध्य प्रदेश .	1050	9.00
	उड़ीसा :		
17.	दरिद्र नारायण सेवा संस्थान, बालासौर, उड़ीसा ।	580	6.30
18.	जनमंगल महिला समिति (जे. एम. एस.) जिला–पुरी, उड़ीसा । . . .	200	4.50
	तमिलनाडु :		
19.	ए. एस. एस. ई.ई. ए. मद्रास, तमिलनाडु ।	3500	65.25
20	वर्किंग वीमैन फोर्म, मद्रास, तमिलनाडु .	10,350	40.00
21.	सेन्टर फॉर सोशल सर्विस एंड रिसर्च, (सी. एस. एस. आर.), डिंडीगुल, तमिलनाडु . .	310	7.00
22.	मैयर ट्रस्ट, मदुरई, तमिलनाडु . .	1330	7.93
	उत्तर प्रदेश :		
23.	श्रमिक भारती, कानपुर, उत्तर प्रदेश । .	700	15.75
	पश्चिम बंगाल :		
24.	मास एजूकेशन, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल । .	2000	30.00